

कृषि सावधि ऋण , जेएल (कृषि), एसएचजी व जेएल (गैर प्राथमिक क्षेत्र) ऋण में लागू प्रसंस्करण शुल्क

क. प्राथमिकता वाला क्षेत्र

कृषि सावधि ऋण के लिए

रु 25,000 तक - शून्य

रु 25,000 से अधिक- स्वीकृत सीमा का 0.56%

एसएचजी ऋण (कृषि व एनएफएस )

रु 25,000 तक - शून्य

रु 25,000 से अधिक व रु 2 लाख तक - रु 250/-

रु 2 लाख से अधिक - @ रु 250/- जमा रु 250/- प्रति लाख और रु 2 लाख से अधिक की ऋण राशि के लिए एक और भाग ।

1. कार्यशील पूंजी ( संरचित ऋण के अलावा निधि आधारित व गैर निधि आधारित )

25,000 रु तक	शून्य
रु 25,000 से अधिक व रु 5 लाख तक	<b>0.30% न्यूनतम रु 300</b>
रु 5 लाख से अधिक व रु 1 करोड तक	0.28% न्यूनतम रु 1500
रु 1 करोड से अधिक व रु 10 करोड तक	0.23% न्यूनतम रु 28000
10 रु से अधिक	0.13% न्यूनतम रु 2,30,000 व अधिकतम बिना किसी सीमांत के

कार्यशील पूंजी के लिए प्रसंस्करण शुल्क प्रारंभिक प्रसंस्करण के साथ-साथ नवीनीकरण की प्रत्येक वार्षिक तिथि पर और किसी भी वृद्धि या सीमा में तदर्थ वृद्धि के लिए भी वसूली योग्य हैं। सीमा में वृद्धि या तदर्थ के लिए, प्रसंस्करण शुल्क की गणना आनुपातिक रूप से अतिरिक्त/वृद्धिशील सीमाओं पर की जानी है।

ख. गैर प्राथमिकता क्षेत्र

1. ज्वेल ऋण - गैर प्राथमिक - स्वीकृत सीमा का 0.56% सेवा कर सहित स्वीकृति के समय वसूल किया जाना है।
2. वरिष्ठ नागरिकों के लिए ज्वेल ऋण - रु 1 लाख तक , कोई प्रसंस्करण शुल्क नहीं | स्वीकृत सीमा का 0.56% सेवा कर सहित स्वीकृति के समय वसूल किया जाना है।

प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न उत्पादों पर प्रसंस्करण शुल्क :

अ. कार्यशील पूंजी ( संरचित ऋण के अलावा निधि आधारित व गैर निधि आधारित ) - ( कृषि जेएल/आईबीकेसी/ कृषि गतिविधियों के लिए कार्यशील पूंजी / समबद्ध गतिविधियां जैसे डेरी / पोल्ट्री / एसएचजी ऋण )

**अ1. अनुप्रोज्य प्रसंस्करण शुल्क :**

रू 25,000 तक	शून्य
रू 25,000 से अधिक व रू 5 लाख तक	0.30% न्यूनतम रू 300
रू 5 लाख से अधिक व रू 1 करोड तक	0.28% न्यूनतम रू 1500
रू 1 करोड से अधिक व रू 10 करोड तक	0.23% न्यूनतम रू 28000
रू 10 करोड से अधिक	0.13% न्यूनतम रू 2,30,000 व अधिकतम बिना किसी सीमांत के

**अ2. कृषि उत्पाद वार अनुप्रोज्य प्रसंस्करण शुल्क :**

उत्पाद	उत्पाद का नाम	रू 25,000 तक	रू 25,000 से अधिक व रू 5 लाख तक	रू 5 लाख से अधिक व रू 1 करोड तक	टिप्पणियां
5502-0001	कृषि ज्वेल ऋण	शून्य	0.30% न्यूनतम रू 300	0.28% न्यूनतम रू 1500	9 महीने तक के सभी फसल
5502-0002	कृषि ज्वेल ऋण 7%	शून्य	0.30% न्यूनतम रू 300	0.28% न्यूनतम रू 1500	ऋण (लघु अवधि), वार्षिक
5503-0001	कृषि लघु अवधि उत्पाद ऋण / आईबीकेसी	शून्य	0.30% न्यूनतम रू 300	0.28% न्यूनतम रू 1500	फसल (15 महीने तक - फसल अवधि + उत्पाद का विपणन) को
5503-0002	कृषि लघु अवधि उत्पाद ऋण - 7% / आईबीकेसी	शून्य	0.30% न्यूनतम रू 300	0.28% न्यूनतम रू 1500	कृषि और संबद्ध गतिविधियों जैसे डेयरी, पोल्ट्री, मत्स्य पालन आदि के लिए कार्यशील पूंजी/कार्यशील पूंजी सीमा के रूप में माना जाता है।

**आ 1. सामन्य नियम :**

- सरकार द्वारा आयोजित योजनाओं के लिए शून्य प्रसंस्करण शुल्क ।
- रू 25000/- तक के प्राथमिकता क्षेत्र वाले अग्रिम के लिए शून्य प्रसंस्करण शुल्क ।
- कृषि अवधि ऋण के लिए , स्वीकृत सीमा का 0.56% प्रसंस्करण शुल्क अपफ्रंट फीस के रूप में वसूल किया जाएगा ।

**आईबी शैक्षिक ऋण योजना ( परिपत्र संख्या एडीवी 100 दिनांक 20.10.10 के अनुसार )**

प्रसंस्करण शुल्क	ऋण के पूर्व भुगतान शुल्क की वसूली
<p>भारत में पढ़ाई के लिए शैक्षिक ऋण पर कोई प्रसंस्करण/ अपफ्रंट शुल्क नहीं लिया जाएगा ।</p> <p>विदेश में पढ़ाई के लिए प्रतिरू 1 लाख ऋण पर रू 250/- , न्यूनतम रू 250/- ऋण के आवेदन पर प्रसंस्करण शुल्क / अग्रिम शुल्क के रूप में लिया जाएगा ।</p>	<p>उधारकर्ता या गारंटर द्वारा अपने धन के स्रोत से भुगतान किए जाने के मामलों में ऋण का पूर्व समापन शुल्क माफ किया जाता है। हालांकि, यदि कोई शैक्षिक ऋण खाता (मौजूदा खाते सहित) अन्य बैंकों द्वारा अधिग्रहण के कारण बंद किया जाता है, तो बकाया राशि या लागू आहरण सीमा के 2% की दर से ऋण का पूर्व समापन शुल्क लिया जाना चाहिए, जो भी अधिक हो।</p>

**निरीक्षण व अन्य सेवा शुल्क ( परिपत्र संख्या जीईएनएल 20 दिनांक 30.06.2008 के अनुसार )**

सीमा	निरीक्षण शुल्क ( सेवा कर सहित )
5,000 रू तक के ऋण के लिए	शून्य
रू 5,000 से अधिक व रू 25000 तक के ऋण के लिए	प्रति निरीक्षण रू 5 प्रति उधारकर्ता, अधिकतम रू 60 प्रति वर्ष प्रति उधारकर्ता।
रू 25000 से अधिक व रू 1 लाख तक के ऋण के लिए	प्रति निरीक्षण रू 100 प्रति उधारकर्ता, अधिकतम रू 400 प्रति वर्ष प्रति उधारकर्ता।
रू 1 लाख से अधिक व रू 10 लाख तक के ऋण के लिए	प्रति निरीक्षण रू 300 प्रति उधारकर्ता, अधिकतम रू 1200 प्रति वर्ष प्रति उधारकर्ता।
रू 10 लाख से अधिक	प्रति निरीक्षण रू 1000 + वास्तविक यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता शुल्क
छूट : सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण जैसे एसजीएसवाई/पीएमआरवाई पर निरीक्षण शुल्क की राशि की छूट है ।	सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण जैसे एसजीएसवाई/पीएमआरवाई पर निरीक्षण शुल्क की राशि की छूट है ।